प्रेषक

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर विकास विभाग ।

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त ।

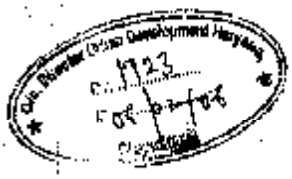

यादी क्रमांक: 8/156/88-6क-T
दिनांक, चण्डीगढ़ 1-2-2006

Urban Development Haryana
1123
8-2-06

विषय:- नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों की भूमि व दुकानें बेचने बारे ।

---

उपरोक्त विषय पर सरकार के यादी क्रमांक: 8/156/88-6क-T दिनांक 11-6-96 के अनुक्रम में ।

2. सरकार के नोटिस में आया है कि नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों की कुछ भूमि, भवन व दुकानें लीज/तहबाजारी एवं किराये पर दी हुई है और इन सम्पत्ति से नाममात्र आय प्राप्त हो रही है, इनका निपटारा दिनांक 31-12-96 तक नहीं किया गया है । इस मामले पर पुनः विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि भूमि, भवन तथा दुकानें जो काफी समय से किराये/लीज व तहबाजारी पर है और जिन दुकानों भूमि एवं भवन का मासिक किराया 500/-रुपये से कम हो, वह सम्पत्ति वर्तमान कब्जाधारी को बेच दी जाये ।

3. उपरोक्त सम्पत्ति का विक्रय मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रत्येक नगरपालिका/नगरपरिषद के लिए सम्बन्धित उपायुक्त की अध्यक्षता में निम्न कमेटी का गठन किया जाता है :-

1. सम्बन्धित उपायुक्त- अध्यक्ष
2. सम्बन्धित नगरपरिषद/नगरपालिका का प्रधान/प्रशासक- सदस्य ।
3. सम्बन्धित नगरपालिका/नगरपरिषद का सचिव/कार्यकारी अधिकारी -सदस्य ।
4. कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग - सदस्य ।

4. उपरोक्त के अलावा आपको यह मन्त्रणा भी दी जाती है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने उपरान्त मामला सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाए ।

5. इसके साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि इस केस में एक्साईज्ड एरिया, अम्बाला सदर एवं नगरपरिषद, अम्बाला सदर को शामिल नहीं किया गया है । अर्थात उक्त निर्णय नगरपरिषद, अम्बाला सदर के लिए लागू नहीं होगा ।

अधीक्षक कमेटी-I
कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर विकास विभाग ।

पृ०क्रमांक: 8/156/88-6क-T दिनांक: 1-2-2006

एक प्रति निदेशक, नगर विकास, हरियाणा को उनके पत्र क्रमांक सी.टी.पी./2005/ए-T/45859, दिनांक 20-10-2005 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

अधीक्षक कमेटी
कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर विकास विभाग ।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

पु0 क्रमांक:8/156/88-6 ब-I दिनांक: 1-2-2006

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :

1. हरियाणा राज्य की सभी नगरपालिकाओं के प्रधान ।
2. हरियाणा राज्य की सभी नगरपालिकाओं के कार्यकारी अधिकारी/सचिव ।

अधीक्षक कमेटी-I
कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर विकास विभाग ।

एक प्रति वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

अधीक्षक कमेटी-I
कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर विकास विभाग ।

सेवा में,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) ।

अग्रा:क्रमांक:8/156/88-6 ब-I दिनांक: 1-2-2006

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com